



Haryana Government Gazette

Published by Authority

Govt. of Haryana

No. 37-2019]

चाण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 सितम्बर, 2019
(19 भाद्र, 1941 शक)

विधायी परिविष्ट

क्रमांक	विधायी वर्तमान	पृष्ठा
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकेतिक 47 / संविधान 309 / 2019, दिनांक 06 सितम्बर, 2019 हरयाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा शर्त) द्वितीय संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	591- 592
भाग IV	शुद्धि-पार्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग-III

हरियाणा सरकार

खेल तथा युवा कार्यक्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 सितम्बर, 2019

संख्या सांकेतिक 47 / संविधि / अनु० 309 / 2019 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंपरागत हारा प्रदान नियमों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के संघरणात, इसके द्वारा, हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी गती तथा सेवा शीर्ष नियम 2018 को आगे उत्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

- (1) ये नियम हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भारी तथा सेवा शीर्ष) द्वितीय संशोधन नियम 2019 का ही महत्व है।
(2) ये नियम 5 सितम्बर, 2018 से लागू हुए समझे जाएंगे।

2 हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी (भारी तथा सेवा शीर्ष) नियम, 2018 में, नियम 4 में, उपनियम (4) के बाद निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा अर्थात्-

(5) अनुसूची-1 या अनुसूची-II में, "ब्लॉटर फाइनल या उस से ऊपर" के खाना के अंदर ताम तक पढ़ाने वाला जाएगा जब तक इवन्ट में प्रतिभागियों की संख्या नहीं या उस से अधिक न हो तथा प्रतिभागी का अनुभाग रोक या रक्षा न करने वाले हों।

आनंद एम. शरण
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल तथा युवा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT

Notification

The 10th September, 2019

No. G.S.R. 47/Const./Art 309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Second Amendment Rules, 2019.

(2) These rules shall be deemed to have come into force from the 5th September, 2018.

2. In the Haryana Outstanding Sportspersons (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2018, in rule 4, after sub-rule(4), the following sub-rule shall be added, namely:—

“(5) The benefit under the column “Quarter Final(s) or above” in Schedule-I or Schedule-II shall not be admissible unless the number of competitors in the event is nine or more and final rank or position of the applicant is in top eight.”.

ANAND K. SHARAN
Principal Secretary to Government, Haryana,
Sports and Youth Affairs Department,